<u>जनपद न्यायालय, वाराणसी</u>

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के पुराने बाउण्ड्री वॉल के मलबे की नीलामी दिनांक **28.09.2022** को समय 02:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

नीलाम की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नवत है–

Bricks	87.415 Thousands
Brick Bats	174.83 cum
Steel	983.75 kg

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र तथा नियमो एवं शर्तो की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नजारत कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते है।

(किरनपाल सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0–01
जनपद न्यायालय, वाराणसी

जनपद न्यायालय, वाराणसी

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के परिसर में पुरानी बाउण्ड्री वॉल के मलबे की नीलामी दिनांक 28.09.2022 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 02:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैः–

1– उक्त बाउण्ड्री वॉल के मलबे की नीलामी हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **न्यूनतम धनराशि 2,77,024.35 रूपये** निर्धारित की गयी है।

2– नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/– रूपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक **27.09.2022** तक प्राप्त किये जा सकते है।

3– नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत का **बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी** के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक **27.09.2022 को सायं 05:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

5– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड, आधार संख्या व किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

6– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियो में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

7– किसी भी दशा में नीलामी राशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नही की जायेगी।

8– नीलामी प्राप्त करने वाले को अंतिम रूप से स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि नगद या चेक के माध्यम से उसी तिथि अथवा अगले कार्यदिवस में नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी।

9– नीलामी प्राप्त कर्ता को मलबे को हटाने के लिए नीलामी सम्पन्न होने के दूसरे तिथि से एक सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा।

Approved
23/8/22

Shikha 23/8/22	Rohit Raghuwanshi 23/08/22	23.8.22	23.8.22
(शिखा श्रीवास्तव)	(रोहित रघुवंशी)	(अशोक कुमार सिंह यादव)	(किरनपाल सिंह)
सदस्य, नीलामी समिति,	सदस्य, नीलामी समिति,	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति,
अपर जिला जज,	अपर जिला जज,	विशेष न्याया0, भ्र0नि0अधि0,	अपर जिला जज,
कक्ष सं0–16, वाराणसी	कक्ष सं0–2, वाराणसी	कक्ष सं0–04, वाराणसी	कक्ष सं0–1, वाराणसी